

निबंधित  
डाक

पत्रांक:-10/न०-99/2022.....

बिहार सरकार

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय  
शिक्षा विभाग, विकास भवन, पटना-15

प्रेषक

सचिन्द्र कुमार,  
विशेष निदेशक, (माध्यमिक शिक्षा)

सेवा में

अध्यक्ष,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड,  
शिक्षा केन्द्र, 2 कम्युनिटी सेंटर,  
नई दिल्ली-110092

विषय:-

पटना, दिनांक.....

महाशय,

RTS VIDYAPEETH, BEHIND G. D. COLLEGE, BEGUSARAI को C.B.S.E बोर्ड, नई दिल्ली से  
संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि RTS VIDYAPEETH, BEHIND G. D. COLLEGE, BEGUSARAI को C.B.S.E से संबद्धता हेतु राज्य सरकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए उक्त विद्यालय के प्राचार्य/सचिव/विद्यालय प्रबंधन द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख के आलोक में संबंधित जिला के जिला पदाधिकारी के स्तर से विद्यालय की स्थलीय जाँच कराकर जाँच प्रतिवेदन प्राप्त किया गया। विद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख एवं जिला पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय आदेश ज्ञापांक-1207 दिनांक 01.08.2023 द्वारा गठित समिति द्वारा की गयी। तदनुसार विद्यालय की स्थिति निम्न प्रकार पाई गई :-

1. यह विद्यालय RAMTANUK SINGH EDUCATION FOUNDATION के अधीन संचालित है। इस ट्रस्ट/सोसाइटी में किसी एक व्यक्ति/परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट/सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का ब्यौरा दिया गया है तथा शपथ पत्र भी दिया गया है।
2. विद्यालय प्रबंधन द्वारा किसी अन्य निबंधित ट्रस्ट/सोसाइटी/न्यास के फ्रेन्चाईजी अथवा किसी विद्यालय के ब्रांड नेम उपयोग नहीं करने का दावा किया है।
3. केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्थल निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना होगा कि विद्यालय की आधारभूत संरचना एवं अन्य सभी सुविधायें बोर्ड के मानक के अनुरूप हैं अथवा नहीं ?
4. विद्यालय में कोई शिक्षक राज्य के सरकारी विद्यालय में शिक्षक के रूप में नियुक्त नहीं हैं इस आशय का शपथ पत्र समर्पित किया गया है। सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि शिक्षकों की नियुक्ति, उनकी योग्यता एवं प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मापदण्डों के अनुरूप हैं अथवा नहीं ?
5. विद्यालय में हिन्दी अनिवार्य रूप से पढ़ाये जाने का दावा किया गया है।
6. विद्यालय द्वारा निर्धारित, शुल्कों, वार्षिक लेखा अंकेक्षण तथा वार्षिक प्रतिवेदन प्रतिवर्ष सार्वजनिक करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।
7. विद्यालय के द्वारा लिखित रूप से शपथ पत्र के माध्यम से सहमति दी गयी है कि उसे विभागीय अधिसूचना संख्या-238, दिनांक-04.04.2006 में उल्लेखित अपेक्षित एवं अनिवार्य शर्तें स्वीकार है।

(i) शिक्षा के अधिकार अधिनियम को क्रियान्वयन के क्रम में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर संसूचित निर्णय के आलोक में विद्यालय में कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत निःशुल्क नामांकन पड़ाने का निर्णय करने का आश्वासन दिया गया है। विद्यालय अपने आश्वासन के अनुरूप कार्रवाई करे इसे सी० बी० एस० ई०, नई दिल्ली को सुनिश्चित करना होगा।

PRINCIPAL  
RTS VIDYAPEETH, BEGUSARAI

NOC LETTER 47.

Manager  
RTS Vidyapeeth  
Begusarai-851101

(ii) विद्यालय में नर्सरी/के0 जी0 अथवा प्राथमिक कक्षा में नामांकन के लिए किसी तरह की प्रवेश परीक्षा/साक्षात्कार (बच्चों एवं माता/पिता सहित) नहीं लिया जायेगा। अगर नामांकन के लिए आवेदन निर्धारित क्षमता से अधिक हो तो खुले तरीका से Draw of Lots के माध्यम से अथवा इस संबंध में समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत पत्र/अनुदेश के तहत नामांकन के लिए बच्चों का चयन किया जायेगा।

(iii) नर्सरी/के0जी0 तथा प्राथमिक कक्षाओं के लिए प्रवेश लेने वाले बच्चों का विद्यालय से आवास की दूरी अधिकतम एक किलोमीटर एवं उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक कक्षा में नामांकन हेतु अधिकतम दूरी तीन किलोमीटर तक रहेगी।

(iv) जिन बच्चों का नामांकन नहीं होता है उनसे ली गई आवेदन शुल्क की राशि का 80 प्रतिशत राशि वापस लौटाने की व्यवस्था होगी।

8. RTE से संबंधित सभी मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा। C.B.S.E संबंधित निजी विद्यालयों को संबद्धता देते समय इसका अनुपालन कराना सुनिश्चित करायेंगे।

9. यद्यपि कि विद्यालय का प्रबंधन द्वारा सभी अनिवार्य शर्तों को पूरा करने के संबंध में शपथ पत्र के माध्यम से दावा किया गया है, फिर भी सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली अपने स्तर से जाँच कर यह सुनिश्चित हो लें कि विद्यालय उनके द्वारा निर्धारित मापदण्ड के आधार पर संचालित है।

10. साथ ही सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित विद्यालय के द्वारा अपनी सहमति के अनुसार अनिवार्य एवं अपेक्षित शर्तों का अनुपालन किया जा रहा है। स्कूल को यह शर्त सार्वजनिक करनी होगी तथा इसका उल्लेख प्रोस्पेक्टस एवं वेबसाइट में करना होगा।

11. विभागीय पत्रांक-46, दिनांक-18.01.2008 द्वारा शिक्षक/छात्रों को शारीरिक दण्ड नहीं दिए जाने संबंधी आदेशों का विद्यालयों द्वारा पालन करना होगा।

12. विद्यालय, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अथवा स्वास्थ्य विभाग के निरीक्षी पदाधिकारी के द्वारा निरीक्षण हेतु किसी भी समय खुला रहेगा।

13. विभागीय अधिसूचना संख्या-238 दिनांक 04.04.2006 में निर्धारित शर्तों के उल्लंघन की स्थिति में विद्यालय का अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा तथा सम्बन्धन रद्द करने के लिए राज्य सरकार सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली को अनुशंसा की जायेगी।

14. उपर्युक्त वर्णित शर्तों के आलोक में, विभागीय आदेश ज्ञापांक-1207 दिनांक 01.08.2023 द्वारा विशेष सचिव की अध्यक्षता में गठित समिति में लिये गये निर्णयानुसार RTS VIDYAPEETH, BEHIND G. D. COLLEGE, BEGUSARAI को सी0 बी0 एस0 ई0, नई दिल्ली से संबद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि सी0 बी0 एस0 ई0 अपने स्तर से पूर्णतः संतुष्ट होने पर ही विद्यालय की संबद्धता देने पर विचार करेगी।

विश्वासभाजन

ह0/-

(सचिन्द्र कुमार)

विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)

ज्ञापांक :-10/न० -99/2022.578

पटना, दिनांक 28-03-2024

प्रतिलिपि:-जिला शिक्षा पदाधिकारी, BEGUSARAI / प्राचार्य, RTS VIDYAPEETH, BEHIND G. D. COLLEGE, BEGUSARAI को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश है कि संबंधित को ई-मेल करना एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

**ATTESTED**  
Manish

PRINCIPAL  
RTS VIDYAPEETH, BEGUSARAI

**ATTESTED**  
28.3.2024  
विशेष निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)  
Shubham Kumar  
Manager  
RTS Vidyapeeth  
Begusarai-851101